

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 130 : Confidentiality of information

- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (3) and (5) of rule 129 and sub-rule (2) of rule 133, the provisions of section 11 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), shall apply *mutatis mutandis* to the disclosure of any information which is provided on a confidential basis.
 - (2) The ¹[Director General of Anti-profiteering] may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, the said information cannot be summarised, such party may submit to the ²[Director General of Anti-profiteering] a statement of reasons as to why summarisation is not possible.
-

1 Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

2 Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

नियम 130 : सूचना की गोपनीयता

- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 11 के उपबंध, नियम 129 के उपनियम (3) और (5) और नियम 133 के उपनियम (2) में अन्य बातों के साथ अंतर्विष्ट होते हुए भी, किसी जानकारी के स्पष्टीकरण को जो सूचना गोपनीयता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।
- (2) ¹[मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय] पक्षकार जो गोपनीयता के आधार पर जानकारी दे रहे हैं, से गैर-गोपनीय सार देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, ऐसी जानकारी देने वाले पक्षकार की यह राय है कि ऐसी जानकारी का सार नहीं किया जा सकता, ऐसे पक्षकार रक्षोपाय महानिदेशालय को, कि क्यों सार करना संभवन नहीं है के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

¹ अधिसूचना क्रमांक 29/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा "रक्षोपाय महानिदेशालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।